संख्या:616/2021/2630/35-4-2021

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 29 दिसम्बर, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-लखनऊ में निम्नलिखित कार्यों की रू. **694.95** लाख (जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **421.77** लाख (रूपए चार करोड़ इक्कीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रू. में)

	कार्य	**लम्बाई (मी)**	**अनुमोदित लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1.	लोधी भवन मोहान मार्ग से श्री महेश साहूजी गौरैया प्रेमी के आवास तक इण्टरलाकिंग रोड कार्य	160	19.41	15.00
2.	अम्बरगंज वार्ड के अर्न्तगत सुरेश कनौजिया के घर से शिव शंकर शर्मा के मकान तक सडक निर्माण कार्य	150	10.18	10.18
3.	राजाजीपुरम के अर्न्तगत सेक्टर संयोजक श्री के.के.मिश्रा सी-274 के (शक्ति केन्द्र) के सामने गांधी पार्क के चारों तरफ नाली एवं सडक निर्माण कार्य	146	3.67	3.67
4.	कन्हैय्या माधौपुर-प्रथम के अर्न्तगत मोहल्ला एकता नगर में श्री विनोद भाई साहब के मकान से डॉ0 राजेश झा के मकान तक सड़क का निर्माण कार्य	300	4.28	4.28
5.	गोविन्द नगर वार्ड के अन्तर्गत मकान नं0-545के/एनके798/ प्रमोद कुमार भसीन गोविंदनगर पारा से म0नं0-545के/एनके477/आर.सी. चौधरी के घर तक सड़क निर्माण कार्य (इण्टरलाकिंग)	160	21.73	15.00
6.	बालागंज वार्ड 15 के अर्न्तगत यूनिटी कॉलेज के पहले से कैलाश स्टेट बरावन कला मुख्य मार्ग तक सडक निर्माण कार्य	1200	36.40	15.00
7.	न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड के अर्न्तगत मेन मार्ग से जुडी हुई सडक राजेश यादव के मकान तक सड़क निर्माण कार्य	169	18.80	15.00
8.	बालागंज वार्ड 15 के अर्न्तगत राकेश अवस्थी के मकान से शिवकुमार कनौजिया के मकान तक सडक निर्माण कार्य	215	2.64	2.64
9.	बालागंज वार्ड के अर्न्तगत मंछली मंडी रोड नहरिया चौराहे से बरावन कला गॉव तक सडक निर्माण कार्य	500	15.18	15.00
10.	आलम नगर वार्ड के अर्न्तगत चन्द्रोदय नगर में चौरसिया सेन्टर, गुप्ता जनरल स्टोर, राहुल पाल व संतोष मिश्रा से दीपेन्द्र के घर तक सडक एवं नाली निर्माण कार्य	425	30.29	15.00
11.	जय बालाजी टिम्बर से पाण्डेय लॉन तक नाली एवं सडक निर्माण कार्य	181	26.72	15.00
12.	सहादतगंज वार्ड के अर्न्तगत खिन्नी चौराहा आलमनगर मोहन रोड शिवाजी पुरम लखनऊ में अजंता डेरी ट्रांसफार्मर वाली रोड से गुप्ता आटा चक्की तक सडक निर्माण कार्य	300	15.19	15.00
13.	राजाजीपुरम वार्ड के अर्न्तगत बी 1/16-के बगल बी ब्लाक मुख्य मार्ग में सडक निर्माण कार्य	500	9.98	9.98
14.	बी ब्लाक चैम्पियन कोठी के सामने से गुलमोहर रेस्टोरेन्ट होते हुए डी0 ब्लाक चौराहे तक सडक निर्माण कार्य	600	8.25	8.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

15.	सुमित के घर से राजू के घर से गेस्ट हाउस तक सडक व नाली का कार्य।	265	30.94	15.00
16.	अवस्थी मेडिकल स्टोर व एसके माथुर के मकान से होते हुए ओ. पी. गुप्ता जी (विजयनगर) के मकान तक नाली व साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य	394	31.40	15.00
17.	केसरीखेडा वार्ड महाराजपुरम वार्ड के अर्न्तगत टी0एन0 यादव एडवोकेट के निवास स्थान से सरोज राज दुबे एडवोकेट के स्कूल होते हुए जसवन्त सिंह के मकान तक सडक निर्माण कार्य।	205	30.92	15.00
18.	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड के अर्न्तगत कुर्मांचल नगर शक्ति नगर में रवीन्द्र नेगी के मकान के सामने इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण का कार्य।	65	7.37	7.37
19.	इन्दिरा प्रियदर्शनी वार्ड के अर्न्तगत पिकनिक स्पाट मुख्य मार्ग से डीबीएस स्कूल होते हुए जरहरा गॉव तक सडक नाली निर्माण कार्य।	980	69.95	15.00
20.	जानकीपुरम प्रथम के अर्न्तगत अकांक्षा तिराहे (एसबीबाई एटीएम) से लेकर मडियांव गांव को जाने वाला मुख्य मार्ग सडक निर्माण कार्य।	428	17.36	15.00
21.	राजाजीपुरम वार्ड के अर्न्तगत तालकटोरा में अविनाश शास्त्री के मकान से जितेन्द्र विश्वकर्मा के कारखाने तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	105	10.38	10.38
22.	बालागंज वार्ड के अन्तर्गत संजय सिंह के घर के सामने की सडक एवं नाली का निर्माण कार्य हरिनगर मोहल्ले में सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	177	7.38	7.38
23.	बालागंज वार्ड के अन्तर्गत गौशाला रोड केदार विहार कालोनी में गली 2 में सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	130	15.27	15.00
24.	वार्ड फैजुल्लागंज तृतीय के अर्न्तगत अभिषेक श्रीवास्तव मकान नं.17 सत्या लोक कालोनी से विनोद कुमार मिश्रा के मकान नं. 23 तक सडक निर्माणका कार्य।	187	22.79	15.00
25.	सीता राम मंदिर से आगे तिराहे से बरूवा खंती नाले तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य ।	136	14.28	14.28
26.	आलमनगर वार्ड-20 के अर्न्तगत जलालपुर क्रासिंग के पास क्रासिंग होते हुए पारा गांव तक सडक निर्माण कार्य।	1400	22.10	15.00
27.	लेबर कालोनी के अर्न्तगत बालाजी मन्दिर से कम्यूनिटी हॉल तक सडक निर्माण कार्य।	800	16.49	15.00
28.	कन्हैया माधवपुर वार्ड के अर्न्तगत सीतापुर बाई पास तिराहा से माधवपुर पुलिया तक सडक निर्माण कार्य	1000	46.07	15.00
29.	कन्हैया माधौपुर प्रथम श्री हेतेश्वर महादेव मंदिर से डीमाक्स स्कूल तक नाली व सडक निर्माण कार्य।	80	7.28	7.28
30.	जानकीपुरम प्रथम प्रभात चौराहे से थाना चौराहे होते हुए सेन्ट एन्टोनी स्कूल होते हुए मंदिर तक जानकी विकास महासमिति के गेट तक सडक निर्माण कार्य	770	39.13	15.00
31.	मानस इन्कलेव में ओम की सीमेंट की दुकान के सामने से सी. आई.एस स्कूल होते हुए सुग्गानमऊ मुख्य मार्ग तक सडक निर्माण कार्य।	1200	13.88	13.88
32.	सरोजनी नगर द्वितीय वार्ड के अर्न्तगत यातायात पार्क से ग्राम सुनहरा रोड तैयब ट्रडर्स तक सडक व नाली निर्माण कार्य।	556	47.04	15.00
33.	हिन्द नगर वार्ड के अर्न्तगत सेक्टर ई तिराहे के सामने बालाजी इण्टरप्रजेज से लेकर त्रिशूल बिल्डिंग (वेल्डिंग) तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली निर्माण कार्य।	75	8.57	8.57
34.	इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत रायबरेली रोड मुख्य मार्ग से वृन्दावन योजना सेक्टर 4 में मकान नं0 4बी/68 (ले0 कर्नल श्याम सिंह धामी) तक सडक व नाली निर्माण कार्य।	150	13.63	13.63
	योग:	**14109**	**694.95**	**421.77**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।
4. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6. कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रश्नगत कार्यों के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
10. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।
11. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
12. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
13. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
16. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2022 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2022 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2022 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
18. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
19. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
20. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
22. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
23. प्रयोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
24. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
25. कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह 02 माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी एवं वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-3426/दस-2021 दिनांकः 29 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:616/2021/2630(1)/35-4-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in